सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर हस्तपुस्तिका

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं पर उनकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रेषित की जाती है।

यह हस्तपुस्तिका[1], संक्षेप में, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में **"पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सशक्तीकरण"** विषय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का सार प्रस्तुत करती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पुलिस विभाग के वर्ष 2011–16 की अवधि के अभिलेखों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है। यह हस्तपुस्तिका एवं सम्पूर्ण निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सम्पूर्ण निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हमारी वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन पर उपलब्ध है।

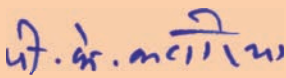

(पी0 के0 कटारिया)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

[1] यद्यपि इस हस्तपुस्तिका में सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्यों की समानता को सुनिश्चित करने का सभी प्रयास किया गया है फिर भी किसी भिन्नता की स्थिति में मूल प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों एवं आँकड़ों को सही माना जायेगा।

प्रस्तावना

कानून और व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी जांच/नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल पुलिस बल आवश्यक है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इसलिए, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने उपकरण, संसाधनों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में कमियों की पहचान और इसके लिये राज्य पुलिस को आधुनिक बनाने हेतु राज्य सरकार के प्रयासो को परिपूर्ण करने के लिये पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एम0पी0एफ0) की एक योजना शुरु की। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना को केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मिल कर सहभागिता के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य गतिशीलता, हथियार, संचार और उपकरण, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और भवनों के संदर्भ में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना है। राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 2011–16 की अवधि में पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत ₹ 462.87 करोड़ का व्यय किया गया था। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने बजट से भी 2011–16 की अवधि में अपने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास, वाहनों के क्रय, हथियार, गोला–बारूद, उपकरण, प्रशिक्षण आदि के लिए अपने स्वयं के बजट से ₹ 2,276.31 करोड़ का व्यय किया।

इसलिये लेखापरीक्षा ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना एवं राज्य वित्त द्वारा पोषित पुलिस के आधुनिकीकरण एवं सशक्तीकरण से सम्बंधित गतिविधियों की दक्षता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकनतथा आधुनिकीकरण प्रयासों की कमियों की पहचान तथा राज्य सरकार को सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपयुक्त संस्तुतियां देने के लिए इस निष्पादन लेखापरीक्षा को लिया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू करने के कई दशकों के बाद भी राज्य पुलिस अभी भी अप्रचलित हथियारों और पुरानी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। गश्त और अन्य उद्देश्यों के लिए पुलिस बल की गतिशीलता, वाहनों की अत्यधिक कमी और अपने पुराने पड़ चुके वाहनों के कारण गम्भीर रूप से विवश है। आतंकवाद निरोधी अभियानों को संभालने के लिए विशेष कमाण्डो बल और कमाण्डो प्रशिक्षण केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। नमूनों की जांच के लिए अनुरोधों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशालाऐं पूरी तरह से असुसज्जित हैं। यातायात पुलिस के पास बहुत कम संख्या में अधिकारी हैं और तेजी से बढ़ते यातायात और बढ़ते सड़क संजाल की निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिए उपकरणों का अभाव है। राज्य को उन्नत प्रशिक्षण हेतु, पुलिस प्रशिक्षण स्थापना में क्षमता एवं आधुनिक प्रशिक्षण अवस्थापना सम्बन्धी गम्भीर कमियां हैं। पुलिस बल के सभी विभागों में उपकरणों की खरीद में देरी, अक्षमताएं, समय और लागत में गंभीर वृद्धि परिलक्षित हुई है।

राज्य में अभी भी लगभग आवश्यक संख्या के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत थाने हैं। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों की भारी कमी है एवं निर्माण एजेंसियों द्वारा पुलिस परियोजनाओं को पूरा करने में असामान्य देरी हुई है। राज्य पुलिस बल के लिए 50 प्रतिशत से कम स्वीकृत मानव शक्ति के साथ कानून और व्यवस्था बनाये रखने और अपराधी, माफिया और नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करना राज्य पुलिस बल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल के वर्षों में आपराधिक तत्वों, नक्सल, आतंकवादियों आदि द्वारा इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक तकनीक एवं अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, राज्य और केन्द्रीय दोनों के संसाधनों से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की गति को तेज करने की बहुत आवश्यकता है।

अध्याय 2–नियोजन और वित्तीय प्रबंधन

- केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय योजना के लिए अपना निर्धारित अंश अवमुक्त नहीं किया। भारत सरकार ने देय अंश का केवल ₹ 496.84 करोड़ (70 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश शासन ने केवल ₹ 162.60 करोड़ (38 प्रतिशत) अवधि 2011–16 में जारी किया गया जैसा कि नीचे चार्ट से स्पष्ट है:

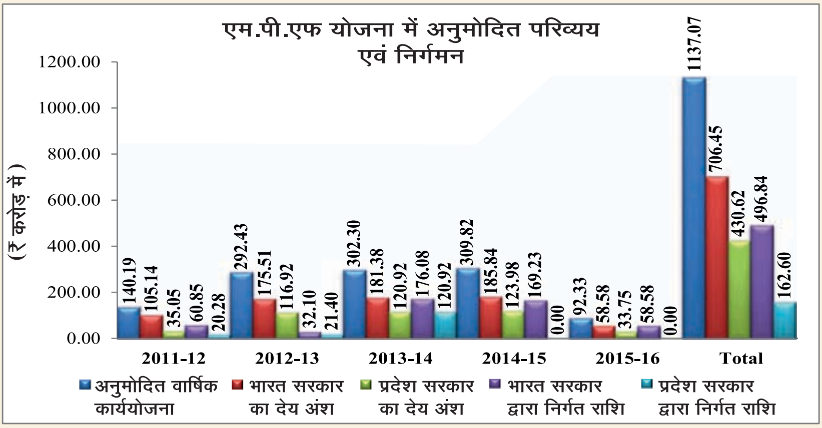

(प्रस्तर 2.3.1)

- 2011–16 की अवधि में पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित ₹ 1,165 करोड़ रुपये के 41 प्रतिशत का उपयोग विभाग नहीं कर सका। वर्षवार आवण्टन एवं उपभोग की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

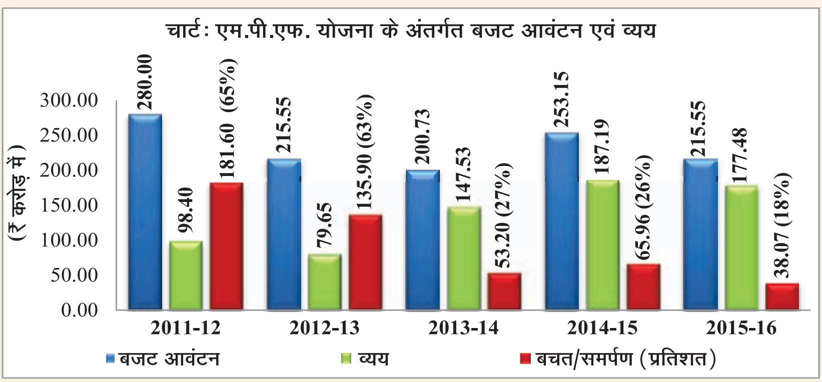

(प्रस्तर 2.3.2)

- राज्य सरकार ने 2011–16 के दौरान राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए अपने बजट से ₹ 3,152.26 करोड़ रुपये जारी किए थे लेकिन पुलिस विभाग केवल ₹ 2,276.31 करोड़ (72 प्रतिशत) का उपयोग कर सका। कार्य के क्रियान्वयन में खामियों एवं उपकरणों की खरीद में देरी के कारण शेष ₹ 875.95 करोड़ (28 प्रतिशत) का समर्पण किया गया। वर्षवार आवण्टन एवं उपभोग की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

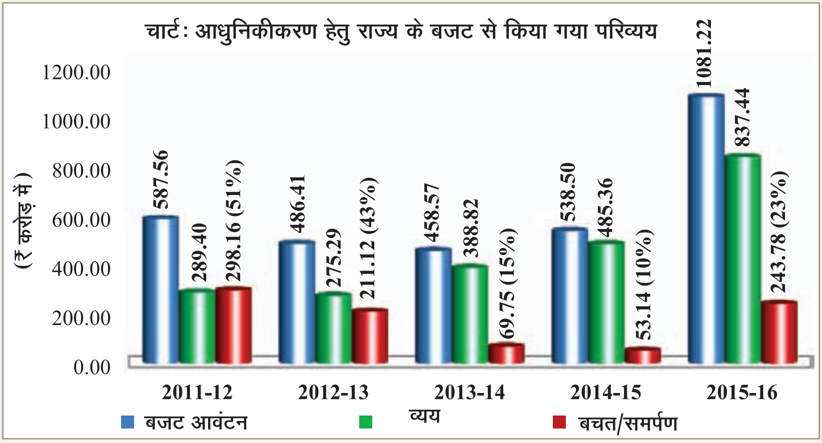

(प्रस्तर 2.4)

अध्याय 3–अस्त्र–शस्त्रों का आधुनिकीकरण

- पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के तहत ₹ 69.91 करोड़ की मांग के सापेक्ष, मात्र ₹ 38.31 करोड़ (55 प्रतिशत) आवंटित किये गए और ₹ 32.99 करोड़ (86 प्रतिशत) 2011–16 की अवधि में हथियारों और गोला–बारूद की क्रय पर व्यय किया गया था। इस प्रकार आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों की राज्य पुलिस की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धनराशि की मांग (वार्षिक कार्य योजना)	धनराशि का आवंटन	व्यय धनराशि	समर्पण
2011-12	**12.28**	3.53	3.53	00
2012-13	20.48	12.10	12.10	00
2013-14	10.70	5.40	3.24	2.16
2014-15	12.78	9.39	9.39	00
2015-16	**13.13**	7.89	4.73	3.16
योग	**69.37**	**38.31**	**32.99**	**5.32**

(प्रस्तर 3.2.1)

- राज्य पुलिस द्वारा प्रयुक्त हथियारों के अप्रचलित होने तथा आपराधिक तत्वों नक्सल, आतंकवादियों आदि द्वारा उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस की शस्त्र नीति के संशोधन के लिए गृह मंत्रालय के 1995 के प्रस्ताव का उत्तर तैयार करने में 17 वर्ष लगा दिए। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को इसे प्रस्तुत करने में चार साल और लगाया, जिससें पुलिस के आधुनिकीकरण, कानून और व्यवस्था बनाये रखने और नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों को निपटाने में अत्यधिक उदासीन रुख का संकेत मिलता है।

(प्रस्तर 3.3)

- राज्य में लगभग 48 प्रतिशत पुलिस बल अब भी प्वाइन्ट 303, बोर राइफल का उपयोग कर रहा है, जिसे 20 साल से अधिक समय से गृह मंत्रालय द्वारा अप्रचलित घोषित किया जा चुका था।

(प्रस्तर 3.5)

- राज्य पुलिस में स्वचालित पिस्तौल और कार्बाइन्स के 9 मिमी कारतूस एवं गोला बारूद की भारी कमी है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण, वीआईपी सुरक्षा के साथ–साथ जिला सशस्त्र पुलिस द्वारा किया जाता है।

वर्ष	मांग	आयुध कारखानों द्वारा आपूर्ति	कमी
2014-15	5,39,000	शून्य	5,39,000
2015-16	6,57,651	1,30,622	5,27,029

(प्रस्तर 3.7)

- केन्द्रीय भण्ड़ार सीतापुर जिसमें राज्य में हथियारों और गोला–बारूद के लिए एकमात्र भंडारण सुविधा उपलब्ध हैं, में आधुनिकीकरण की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। केन्द्रीय भण्ड़ार में उचित भंडारण भवनों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली की कमी थी, इसलिए, करोड़ों रुपए के हथियार एवं गोला बारूद क्षति, चोरी, अग्नि आदि के जोखिम में थे।

(प्रस्तर 3.8)

अध्याय 4–संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

- पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत संचार उपकरणों की खरीद के लिए प्राप्त ₹ 136.51 करोड़ में से, क्रय आदेश का अन्तिमीकरण नहीं होने के कारण विभाग आवंटन का मात्र 41 प्रतिशत उपयोग कर सका जैसा कि नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवश्यकता	आबंटन	व्यय	समर्पण प्रतिशत
2011-12	44.54	31.76	6.69	25.07 (79)
2012-13	53.76	28.00	5.94	22.06 (79)
2013-14	40.72	29.89	13.86	16.03 (54)
2014-15	25.28	33.86	17.32	16.54 (49)
2015-16	33.91	13.00	11.82	1.18 (9)
योग	**198.21**	**136.51**	**55.63**	**80.88 (59)**

(प्रस्तर 4.3)

- राज्य पुलिस में हस्तचालित सेटों की अत्यधिक कमी थी। मानदंडों के अनुसार लगभग 48 प्रतिशत पुलिस बल को हस्तचालित सेट प्रदान नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.4)

- 50,216 की कुल उपलब्धता में, 33,860 सेटों की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी। इन सेटों को प्रतिस्थापित करने की जरूरत थी लेकिन नए सेटों की खरीद न होने के कारण अब भी उनका उपयोग किया जा रहा है।

(प्रस्तर 4.5)

- समय से स्पेक्ट्रम चार्जेज का भुगतान न किये जाने के कारण, वर्ष 2004–17 के दौरान वायरलेस प्लानिंग सेल द्वारा ₹ 104.47 करोड़ का विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया जिसमें से विभाग द्वारा सितम्बर, 2015 में ₹ 57.66 करोड़ का भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 4.6)

- पोलनेट एक उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था है जिसे प्रदेश के 56 जनपदों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003–04 में स्थापित किया गया था। मात्र 38 (67 प्रतिशत) जनपदों में पोलनेट कार्यरत पाए गए, शेष 18 जनपदों में वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध न होने के कारण पोलनेट कार्यरत नहीं थे।

(प्रस्तर 4.9)

- 15 टेस्ट चेक किए गए जिलों में निगरानी परीक्षण के लिए स्थापित 691 क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा (सीसीटीवी) में से 39 प्रतिशत तकनीकी दोषों के कारण या वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (एएमसी) की कमी के कारण क्रियाशील नहीं पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों की असफलता ने आम लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा में भी समझौता किया।

(प्रस्तर 4.12)

- अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) अभी भी पूरी तरह से परिचालित नहीं किया गया है। पुलिस अभी भी अपराध जाँच, खोज और अभियोजन और नागरिक केंद्रित पोर्टल सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर रही है। राज्य में ''अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम'' प्रणाली के कार्यान्वयन में काफी देरी हुई है।

(प्रस्तर 4.16)

अध्याय 5–पुलिस मोबिलिटी में सुधार

- राज्य पुलिस के पास पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के मानकों के विपरीत कुल मिलाकार 27 प्रतिशत पुलिस वाहनों की कमी है। मानकों की तुलना में सिविल पुलिस में मध्यम पुलिस वाहनों की कमी (गश्त के लिए उपयोग

की जाने वाली) 68 प्रतिशत और प्रान्तीय सशस्त्र दल में 75 प्रतिशत थी। इस प्रकार, विशेष रूप से गश्त कार्यों के लिए पुलिस की पर्याप्त गतिशीलता सुनिश्चित नहीं की गई, जो कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध को नियंत्रित करने और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक थी।

(प्रस्तर 5.2)

- जनपदो में पुलिस के वाहनों की अविवेकपूर्ण तैनाती थी 43 जिलों में 11 से 46 प्रतिशत तक पुलिस वाहनों की कमी थी, जबकि शेष 32 जिलों में अतिरिक्त वाहन थे या केवल मामूली कमी थी।

(प्रस्तर 5.3)

- 2015–16 के दौरान कुल निष्प्रयोज्य वाहनों का केवल 10 प्रतिशत प्रतिस्थापित किया गया और 1,847 निष्प्रयोज्य वाहनों का 2015–16 के अंत में प्रतिस्थापन किया जाना प्रतीक्षित था।

(प्रस्तर 5.7)

- जनपद पुलिस के वाहनों की गंभीर कमी के बावजूद, विभाग ने ग्यारह जनपदों के 18 निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष माननीय मुख्य मंत्री की सुरक्षा के लिए दस बुलेटप्रूफ टाटा सफारी और आठ सामान्य सफारी वाहनों को क्रय किया, इस प्रकार जिला पुलिस को उनके स्वीकृत वाहनों से वंचित किया गया। सरकार ने पूर्व स्वीकृत लैण्ड क्रूजर के स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए अधिक महंगे और विलासमय वाहनों (मर्सिडीज माडल एम–गार्ड) के क्रय पर ₹ 3.66 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 5.7.1)

- कार्यशाला द्वारा मरम्मत किये गये वाहनों की संख्या में अत्यधिक कमी के कारण विगत सात वर्षो में पुलिस आटोमोटिव कार्यशाला में प्रति वाहन की मरम्मत की लागत आठ गुना बढ़ गई थी, जिससे कार्यशाला का परिचालन आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

वर्ष	कुल मरम्मत किये गये वाहन	कार्यशालाओं पर किया गया कुल व्यय (₹ में)	प्रति वाहन व्यय (₹ में)
2009-10	990	509,84,291	51,499.20
2010-11	772	562,60,739	74,392.04
2011-12	703	674,27,843	95,914.32
2012-13	361	715,27,393	198,136.73
2013-14	355	731,47,737	206,052.67
2014-15	116	662,58,013	571,189.77
2015-16	244	999,95,963	409,819.52

(प्रस्तर 5.10)

अध्याय 6–विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

- विभाग, परिप्रेक्ष्य/भावी योजना 2011–16 के परिकल्पना के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने में विफल रहा। राज्य में केवल 44 प्रतिशत जिलों को मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ सुसज्जित किया जा सका था और 500 में से किसी भी वृत्त में यह सुविधा नहीं प्रदान नहीं की जा सकी थी। योजना के अनुरूप वर्तमान विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में नये अनुभागों को भी नहीं खोला गया था।

(प्रस्तर 6.2)

- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मूल आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए कार्यों की मंजूरी और निष्पादन में अत्यधिक देरी हुई है और इसलिए, पांच में से चार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील नहीं किया जा सका था।

(प्रस्तर 6.2)

- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की कमी थी। हालांकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित धन के 55 प्रतिशत का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र0 सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय	बचत/समर्पण
1	2011–12	00.00	00.00	00.00
2	2012–13	00.00	00.00	00.00
3	2013–14	10.92	1.03	9.89
4	2014–15	17.75	4.07	13.68
5	2015–16	24.88	19.00	5.88
	कुल	**53.55**	**24.10**	**29.45**

(प्रस्तर 6.3)

- वर्तमान चार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के पास तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे प्रयोगशालाओं में नमूनों के फारेंसिक परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 2012–13 से 2015–16 के दौरान कर्मचारियों की कमी 47 से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गईजिससे लम्बित नमूनों की स्थिति और भी खराब हो गयी।

(प्रस्तर 6.5)

- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधाएं राज्य में अपर्याप्त रही। जनवरी 2011 तक लखनऊ, आगरा और वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में परीक्षा के लिए 6,617 से अधिक नमूने लंबित थे जो मार्च 2016 तक बढ़कर 15,033 हो गए।

(प्रस्तर 6.6)

अध्याय 7–प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण और संवर्धन

- 2011–16 के दौरान प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए किए गए धन के कुल आवंटन का 80 प्रतिशत (25.65 करोड़) प्रक्रिया और खरीद को अंतिम रूप देने में विलम्ब कारण समर्पित कर दिए गए थे जैसा कि नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	आवंटन	व्यय	शेष धनराशि (प्रतिशत)
तेरहवाँ वित्त आयोग	4.23	2.28	1.95 (46)
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	27.86	4.16	23.70 (85)
योग	**32.09**	**6.44**	**25.65 (80)**

(प्रस्तर 7.2)

- बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण उपकरण जैसे इंटरेक्टिव आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर, साइबर अपराध प्रयोगशाला उपकरण आदि के लिये निविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण नहीं खरीदे जा सके थे। अग्रेतर, एएमसी की प्रत्याशा में आठ प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए गए 10 में से छह आग्नेययास्त्र सिम्युलेटर, वर्ष 2012 से फरवरी 2016 तक काम नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, पुलिस बल आधुनिक प्रशिक्षण सहायता सहित प्रशिक्षण के लाभ से वंचित था।

(प्रस्तर 7.2 एवं 7.9)

- राज्य में वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रशिक्षण क्षमता वर्ष 2011-16 के दौरान से प्रतिशत की कमी के साथ अत्यधिक अपर्याप्त है। ले–आउट प्लान में बदलाव और भवनों के डिजाइन एवं ड्राइंग और काम की धीमी प्रगति के कारण मार्च तक विभाग कांशीराम नगर, जालौन और सुल्तानपुर में तीन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों (पीटीएस) को स्थापित करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 7.3)

- वर्ष 2011-16 के दौरान पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों/विद्यालयों/केंद्रों में से प्रतिशत तक की आन्तरिक अनुदेशकों की भारी कमी थी तथा वर्ष 2011-14 के दौरान बाह्य अनुदेशक के पद अधिक (19 प्रतिशत) थे। प्रशिक्षण संस्थान की अपर्याप्त क्षमता और आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों में कमी से राज्य में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(प्रस्तर 7.4)

अध्याय 8–विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण

विशेष प्रयोजनों और जरूरतों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अन्तर्गत कई पुलिस इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में, तीन विशेष पुलिस बलों अर्थात आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस), प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के विस्तृत लेखा परीक्षा के लिए चुना गया था। हमारे मुख्य निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

आतंकवाद निरोधी दस्ता

- देश में विभिन्न आतंकवादी हमलों के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने (जून 2009) एटीएस के तहत 2000 कमाण्डो के कमाण्डो यूनिट और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की तरह चार कमाण्डो केंद्रों की स्थापना के लिए फैसला किया ताकि ऐसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सके। 2000 की प्रस्तावित कमाण्डो मानवशक्ति अब भी उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है और यह प्रस्ताव दिसंबर 2009 के बाद से सरकार के पास लंबित है। अन्तरिम उपाय के तौर पर, कमाण्डो संचालन के लिए एटीएस के साथ केवल प्रारंभिक कमाण्डो ट्रेनिंग वाले 79 पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है (सितंबर 2016)। इसलिए, कमाण्डो संचालन के लिए इस विशेष पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।

(प्रस्तर 8.1.1 एवं 8.1.3)

- जून 2011 में स्वीकृत कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल (सीटीएस) का निर्माण जमीन की अनुपलब्धता और काम की धीमी गति से निर्धारित समय सीमा के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी अभी भी पूरा नहीं हुआ है। परियोजना की लागत में ₹12.49 करोड़ वृद्धि हुई है।

  राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की तरह पर आगरा, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में चार कमाण्डो केंद्र, जहां कमाण्डो आपरेशन के लिए जब और जहां आवश्यक हो कमाण्डो (प्रशिक्षण के उपरान्त) को तैनात किया जा सके जबकि सितंबर 2016 तक स्थापित नहीं किये गये थे। क्योंकि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 8.1.1)

- उ०प्र० शासन ने जनवरी, 2010 में लखनऊ में एक अस्थायी कमाण्डो प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। वर्ष 2009–12 के दौरान 228 कार्मिकों को पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा वर्ष 2012–16 के दौरान कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, योजना के अनुरूप विपरीत परिस्थितियों, यथा आतंकवादी हमलों से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए पर्याप्त संख्या में कमाण्डो को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

(प्रस्तर 8.1.2)

- पुलिस बल द्वारा परिचालन गतिविधियों के सफल संचालन के लिए हथियारों और गोला–बारूद की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है। शस्त्र जैसे 9 मिमी एमपी 5, 12 बोर पम्प एक्शन गन (पीएजी), स्टन ग्रेनेड और यूबीजीएल को 2013–15 में एटीएस के लिए पहली बार प्रदान किया गया था, लेकिन इन हथियारों के लिए गोला बारूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(प्रस्तर 8.1.5)

प्रादेशिक सशस्त्र बल (पीएसी)

- 2015–16 के अंत में पीएसी में समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारियों (उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट) में 61 प्रतिशत की कमी थी। यह पीएसी द्वारा हिंसा, सांप्रदायिक दंगे आदि के अतिशय मामलों से निपटने में अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

ड्यूटी पर पी.ए.सी. जवान

(प्रस्तर 8.2.1)

- एमपीएफ योजना के अंतर्गत उपकरण की खरीद के लिए 2011–16 के दौरान पीएसी को आवंटित ₹ 43.71करोड़ में से, केवल ₹ 31.55करोड़ का उपयोग किया जा सका था क्योंकि क्रय को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। फलस्वरूप, बुलेट प्रूफ

जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, शिन गार्ड के साथ शरीर रक्षक, पालीकार्बोनेट ढाल और लेन सिम्युलेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण नहीं क्रय किये जा सके और न ही पी.ए.सी. को उपलब्ध कराये जा सके जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र0 सं0	उपकरण	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत)
1	सीनगार्ड संहित वाडी रक्षक	30,297	26,916	3,381(11)
2	पाली कार्वोनेट ढाल	29,321	28,815	506(2)
3	पाली कार्वोनेट लाठी	27,488	26,078	1410(5)
4	बुलेट प्रुफ जाकेट	10,080	1,913	8,167(81)
5	बुलेट प्रूफ हेलमेट	10,080	209	9,871(98)
6	लेन सिमुलेटर	32	1	31(97)

(प्रस्तर 8.2.4)

विशेष कार्य बल (एसटीएफ)

- एसटीएफ, जो कि राज्य में संगठित अपराधियों और माफिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित था, में स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे।

(प्रस्तर 8.3.1)

अध्याय 9–यातायात पुलिस आधुनिकीकरण

- मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना और अर्थदण्ड़ लगाने के माध्यम से राज्य पुलिस ने पर्याप्त राजस्व अर्जित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे। यह मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 2011–16 की अवधि में ₹ 535.56 करोड़ के भावी योजना लक्ष्य के सापेक्ष मात्र ₹ 125.48 करोड़ (23.43 प्रतिशत) संग्रह करने में सफल रहा। इसलिए, यातायात पुलिस के पास आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी।

(प्रस्तर 9.2)

- राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या में 1985 से 2015 तक 2256 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु वर्ष 1985–86 से यातायात पुलिस के स्वीकृत पद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष यातायात निरीक्षक, उप–निरीक्षक यातायात और आरक्षी यातायात संवर्ग में 71 से 93 प्रतिशत की कमी थी।

(प्रस्तर 9.3)

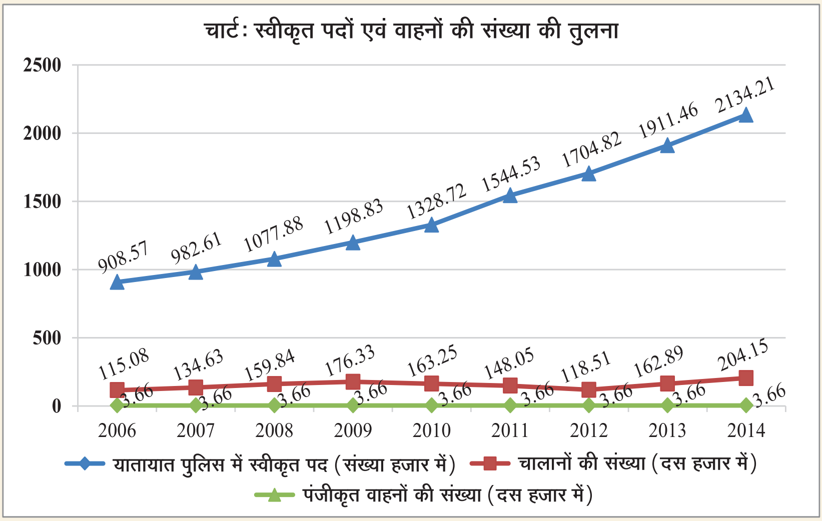

अध्याय 10–पुलिस आवासीय/गैर आवासीय भवन का निर्माण

- राज्य पुलिस बल को बेहतर रहने और काम करने के वातावरण प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से सुरक्षित आवासीय, प्रशासनिक और अन्य इमारतों का निर्माण पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।

- पुलिस के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हो रहा था। वर्ष 1995 से मार्च 2014 के दौरान स्वीकृत 1048.73 करोड़ रुपये के 616 कार्य मार्च 2016 तक पूरे किये जाने थे, केवल 393 कार्य (64 प्रतिशत) को ₹ 482.15 करोड़ व्यय के साथ पूर्ण किया गया था और शेष 223 कार्य (36 प्रतिशत) अभी तक अपूर्ण थे।

(प्रस्तर 10.2)

- निर्माण एजेंसियों द्वारा काम की धीमी गति से निष्पादन के कारण 2011–16 की अवधि में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 712.86 करोड़ (25 प्रतिशत बजट आवंटन) का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 10.2.1)

- उत्तर प्रदेश सरकार ने निविदाओं को आमंत्रित किए बिना नामांकन आधार पर नौ सरकारी निर्माण एजेंसियों को ₹ 2,920.62 करोड़ की लागत वाले 2,068 कार्य सौंपे गये थे। प्रतिस्पर्धा के बिना नामांकन के आधार पर ऐसे उच्च मूल्य संविदाओं को सौंपना, प्रभावहीनता, मनमानापन को प्रोत्साहित करता है एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और लागत नियंत्रण को लागू करने की आवश्यकता की अनदेखी करता है।

(प्रस्तर 10.2.2)

- राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उनके विगत में खराब प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए ₹ 983.51 करोड़ (2014–16) के दौरान प्रदान किए गए कार्यों के कुल मूल्य का 54 प्रतिशत) के 12 प्रमुख कार्यों को आवंटित किया। एजेंसी 1995 से 2012 के बीच दिए गए कार्यों को 51 प्रतिशत कार्य (मार्च 2017 तक) भी पूरा नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 10.2.3)

- भवनों के निर्माण के लिए कार्य सौंपते समय विभाग ने निर्माण एजेंसियों की कार्यभार क्षमता का सत्यापन नहीं किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2015–16 के मध्य चार निर्माण एजेंसियों को ₹ 119.25 करोड़ की लागत वाले 56 कार्य सरकार द्वारा अधिसूचित उनकी अधिकतम क्षमता से अधिक था।

(प्रस्तर 10.2.4)

- विभाग ने निर्माण एजेंसियों को काम के निष्पादन के लिए धन मुहैया कराया तथा समयसीमा, कार्यों की लागत, कार्यान्वयन की शर्तें, भुगतान जारी करने और देरी के मामले में दंड लागू करने, अधोमानक कार्यों के निष्पादन की शर्तों को समाहित करते हुए सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) नहीं निष्पादित किया। लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई ₹ 328.84 करोड़ की लागत वाले 27 कार्यों में से, अभी भी ₹ 233.12 करोड़ के 12 कार्यों में एमओयू पर अभी भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस प्रकार बजट पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और समय और लागत की

वृद्धि के मामलों में तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा काम के अधोमानक गुणवत्ता के निष्पादन के सम्बन्ध में सरकार के हितों की सुरक्षा नहीं हो पाई।

(प्रस्तर 10.2.5)

- लोक निर्माण विभाग नियमावली में निर्धारित कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड हेतु 10 प्रतिशत की अधिकतम दर के सापेक्ष विभाग ने विलम्ब के लिए एक प्रतिशत अर्थदण्ड़ का प्रावधान किया था। पुनः निर्माण अभिकरणों द्वारा लगभग सभी कार्यो में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद, दोषी निर्माण अभिकरणों से एक प्रतिशत भी अर्थदण्ड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी थी। इस प्रकार निर्माण अभिकरणों को ₹ 75.71 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(प्रस्तर 10.2.5)

- राज्य में केवल 1,460 पुलिस थाने हैं और यहाँ 1,115 थानों (44 प्रतिशत) की कमी है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 41 प्रतिशत, थानों और नगरीय क्षेत्रों में 51 प्रतिशत पुलिस थानों की कमी थी।

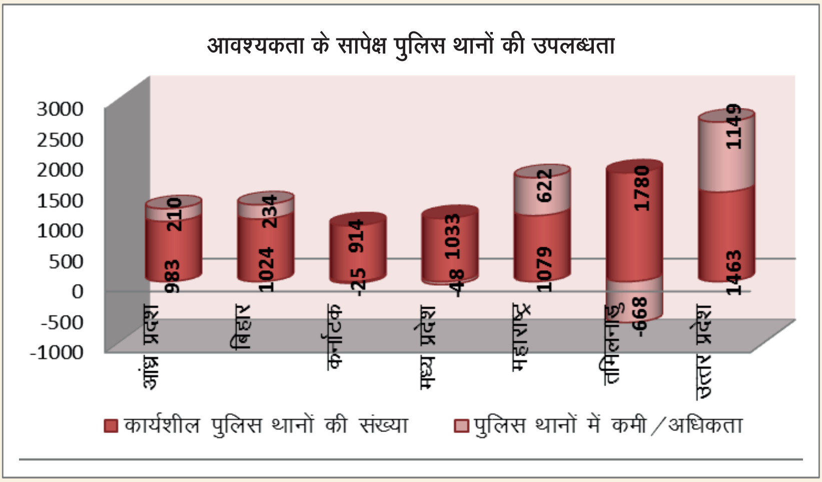

(प्रस्तर 10.5.1)

- 2013–14 तक महिला आरक्षी के लिए बैरकों हेतु स्वीकृति नहीं दी गई। 2014–15 तक स्वीकृत 249 बैरकों में से केवल 130 बैरक (52 प्रतिशत) बैरकों को पूर्ण किया गया था जिसमें चार महिला बैरक सम्मिलित थे (मार्च 2016)।

(प्रस्तर 10.6)

- मार्च 2015 तक 1,25,998 आवासों की आवश्यकता के सापेक्ष 59,453 (48 प्रतिशत) की कमी थी तथा 68874 कर्मियों के बैंरक की आवश्यकता के सापेक्ष 18,259 (26 प्रतिशत) कर्मियों के लिए बैरक की कमी थी।

(प्रस्तर 10.7.1)

- राज्य सरकार ने 1998–2016 की अवधि में टाइप I, II, & III आवासीय क्वार्टर्स के 59,453 की आवश्यकता के सापेक्ष 5,156 आवास (आवश्यकता का 9 प्रतिशत) को स्वीकृति प्रदान की। पाँच से 18 वर्ष बीतने के पश्चात वर्ष 1998 से 2011 के मध्य स्वीकृत 1,332 आवासी इकाईयॉ अभी भी अपूर्ण थीं (मार्च 20,156)।

(प्रस्तर 10.7.2)

अध्याय 11–अपराध के मामलें एवं पुलिस तैनाती

- भारतीय दण्ड संहिता और एसएलएल श्रेणियों के अन्तर्गत अपराध की घटनाएं 2011–15 में क्रमशः 24 और 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती हैं। इस अवधि में अपराधों में हुई वृद्धि नीचे दिये गये चार्ट से स्पष्ट हैः

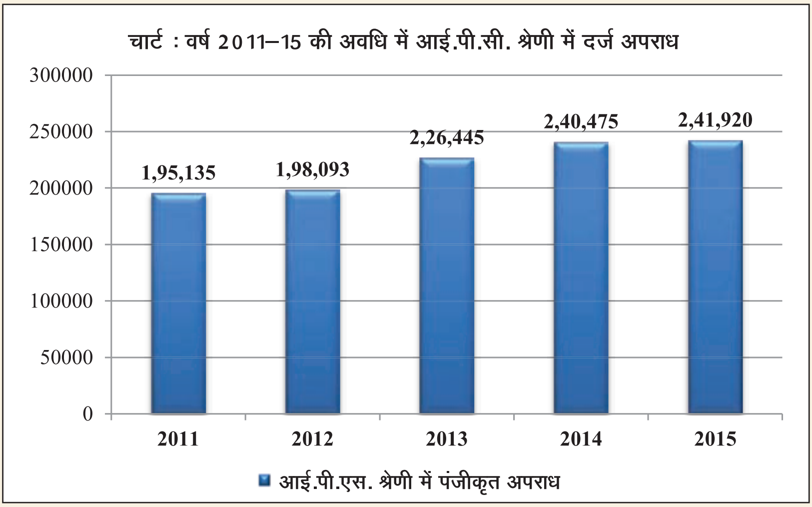

(प्रस्तर 11.1)

- प्रत्येक जनपद में एक साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव (सितंबर 2012) के सापेक्ष, मार्च 2016 तक साइबर अपराधों की जांच के लिए राज्य में मात्र दो (लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर) साइबर अपराध पुलिस स्टेशन (मार्च 2016) स्थापित किए गए थे ।

(प्रस्तर 11.2)

- राज्य में 1 अप्रैल 2015 तक 3,77,474 की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष मात्र 1,80,649 पुलिस कार्मिक (48 प्रतिशत) उपलब्ध थे। उप निरीक्षकों और आरक्षी के क्रमशः 52 और 55 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

(प्रस्तर 11.3 एवं 11.4.1)

- विभाग में पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए अधियाचन को, पुलिस भर्ती और चयन बोर्ड (बोर्ड) जारी करने में काफी देरी हुई थी और बोर्ड ने आवेदन आमंत्रित करने, परीक्षाओं का आयोजन करने और भर्ती करने में तीन से छह साल का अनावश्यक रूप से लंबा समय लगाया। इससे पुलिस बल में कमी की समस्या में वृद्धि हुई, जिससे कानून और व्यवस्था के बनाये रखने पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 11.4.1)

नोट्स

सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

डब्लूडब्लूडब्लू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्लूडब्लूडब्लू.एजीयूपी.एनआईसी.इन